आकाशवाणी श्री विजयपुरम

दिनांक : 01.01.2025 समय : 1905

<><><><><><><><>

- सरकार ने आज से वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन–ओ एन ओ एस योजना की शुरुआत की।
- रक्षा मंत्रालय ने रक्षा क्षेत्र में मौजूदा और भावी सुधारों को प्रोत्साहन देने के लिए दो हजार पच्चीस को सुधारों का वर्ष घोषित किया है।
- एयर वॉरियर ड्रिल टीम की ओर से कल से मरीना रोड पर ड्रिल का प्रदर्शन किया जाएगा।
- मध्योत्तर अंडमान में रामनगर ग्राम पंचायत ने रामनगर समुद्री तट को "प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र" घोषित किया है।
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को वर्तमान में रबी दो हजार चौबीस–पच्चीस के लिए पूरे द्वीपसमूह में कार्यान्वयन के लिए अधिसूचित किया गया है।

<><><><><><><><>

सरकार ने आज से वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन–ओ एन ओ एस योजना की शुरुआत की। इस योजना का उद्देश्य विद्यार्थियों को सिंगल सब्सक्रिप्शन प्लेटफार्म के तहत शोधपत्रों, जरनलों और शैक्षिक सामग्री सहित व्यापक डिजिटल ज्ञान संसाधनों तक निर्बाध पहुंच उपलब्ध कराना है। इस योजना से अलग–अलग जगह सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ज्ञान सबको सुलभ होगा। विश्वविद्यालयों और आईआईटी सहित सरकारी सहायता प्राप्त उच्च शिक्षा संस्थानों के एक करोड़ अस्सी लाख विद्यार्थियों को इस पहल के अंग के रूप में दुनिया भर के शीर्ष जरनल में प्रकाशित शोध पत्रों को देखने की सुविधा मिलेगी। प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर अजय कुमार सूद ने बताया कि योजना तीन चरणों में लागू होगी। केन्द्रीय मंत्रिमण्डल ने पिछले वर्ष पच्चीस नवम्बर को वन नेशन, वन सब्सक्रिप्शन योजना को स्वीकृति दी थी। मंत्रिमंडल के फैसले के दौरान केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने योजना के बारे में विस्तार से बताया था। उन्होंने बताया कि ओएनओएस योजना के तहत तीन वर्ष की अवधि के लिए छह हजार करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। यह चुनिंदा उत्कृष्ट ओपन एक्सेस जर्नलों में प्रकाशन के वास्ते लाभार्थी लेखकों के लिए सालाना एक सौ पचास करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता भी उपलब्ध कराएगी।

<><><><><><><><>

रक्षा मंत्रालय ने रक्षा क्षेत्र में मौजूदा और भावी सुधारों को प्रोत्साहन देने के लिए दो हजार पच्चीस को सुधारों का वर्ष घोषित किया है। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कल रक्षा मंत्रालय के सभी सचिवों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में रक्षा क्षेत्र की प्रमुख योजनाओं, परियोजनाओं और सुधारों की प्रगति की समीक्षा की गई। श्री सिंह ने विश्वास व्यक्त किया कि सुधारों का वर्ष सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण की यात्रा में क्रांतिकारी कदम होगा। उन्होंने ये भी कहा कि इससे देश की रक्षा तैयारियों में अभूतपूर्व प्रगति की बुनियाद पड़ेगी। इन सुधारों का फोकस यह सुनिश्चित करना है कि सशस्त्र बलों को परिवर्तित करके प्रौद्योगिकी के लिहाज से उन्नत, बहुक्षेत्रीय समेकित अभियानों के लिए तैयार रहने में सक्षम बना दिया जाए। यह लक्ष्य हासिल करने के लिए कई क्षेत्रों की पहचान की गई है, जिन पर दो हजार पच्चीस के दौरान मुख्य रूप से ध्यान दिया जाएगा। इन क्षेत्रों में रक्षा विर्निर्माण को प्रोत्साहन, बुनियादी ढांचे में सुधार, खरीद प्रक्रियाओं में वृद्धि और कृत्रिम बुद्धिमत्ता–एआई, ड्रोन और साइबर युद्ध नीतियों जैसी उभरती प्रौद्योगिकी के एकीकरण के क्षेत्र में प्रगति शामिल हैं।

<><><><><><><><>

एयर वॉरियर ड्रिल टीम की ओर से कल से चार जनवरी तक शाम चार बजे से मरीना रोड पर ड्रिल का प्रदर्शन किया जाएगा। प्रदर्शन के दौरान मरीना रोड पर आवाजाही बंद रहेगी।

<><><><><><><><>

अंडमान निकोबार द्वीपसमूह में दैनिक वेतनभोगी सहित सभी छः अधिसूचित कर्मियों के न्यूनतम भाड़े में संशोधन किया गया है। उप–राज्यपाल एडमिरल डी के जोशी ने इसे अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है, जो आज से लागू हो गई है। तीनों ज़िलों में अकुशल मजदूरों के लिए न्यूनतम भाड़ा प्रतिदिन छः सौ इकतालीस रूपए निर्धारित किया गया है। अर्ध–कुशल और अकुशल सुपरवाइज़री के लिए सात सौ बाईस रूपए, जबकि कुशल और लिपिक वर्ग के लिए आठ सौ पैंतालीस रूपए तथा उच्च कुशल श्रेणी के लोगों को अब प्रतिदिन नौ सौ अट्ठाईस रूपए के हिसाब से न्यूनतम दरें प्राप्त होंगी। न्यूनतम भाड़े में संशोधन का विवरण श्रम विभाग की वेबसाइट में उपलब्ध है।

सभी प्रतिष्ठान निजी और सरकारी विभागों को निर्देश दिया गया है कि वे संशोधित दरों का पालन करे, आदेश न मानने पर न्यूनतम मजदूरी अधिनियम उन्नीस सौ अड़तालीस और संबंधित नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी।

<><><><><><><>

मध्योत्तर अंडमान में रामनगर ग्राम पंचायत ने रामनगर समुद्री तट को "प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र" घोषित करके पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। यह कदम स्वच्छ भारत मिशन का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य प्लास्टिक प्रदूषण को कम करना और गांव में स्वच्छता को बढ़ावा देना है। इस पहल का उद्घाटन कल किया गया। इस अवसर पर डिगलीपुर के खंड विकास अधिकारी राजेंद्र कुमार मुख्य अतिथि थे, जबकि वन्यजीव कलारा के रेंज अधिकारी सुरेश.वी और कालीघाट के वन रेंज अधिकारी रशीद सम्माननीय अतिथि थे। उद्घाटन के दौरान, गणमान्य लोगों ने पहल की प्रशंसा की और लोगों से रामनगर गांव की प्राकृतिक सुंदरता को बनाए रखने के लिए प्लास्टिक का उपयोग कम करने का आग्रह किया। इस पहल को लागू करने और स्वच्छता बनाए रखने के लिए, रामनगर ग्राम पंचायत के प्रधान मिथुन दास ने वाहन प्रवेश शुल्क और सुरक्षा जमा शुरू करने की घोषणा की। इन उपायों का उद्देश्य प्लास्टिक की वस्तुओं के उचित निपटान को प्रोत्साहित करना है। दुपहिया वाहनों के लिए दस रूपये, तीन और चार पहिया वाहनों के लिए बीस रूपये, जबकि बस, टेम्पो, पिक–अप वैन और अन्य वाहनों के लिए पचास रूपये का प्रवेश शुल्क रखा गया है। दो लीटर या उससे अधिक लीटर की बोतलों के लिए दो सौ रूपये, चिप्स के पैकेट और दो लीटर से कम के पैकेट के लिए सौ रूपये का शुल्क निर्धारित किया गया है। यदि वस्तुएँ पंचायत काउंटर पर वापस कर दी जाती हैं, तो सुरक्षा जमा राशि वापस कर दी जाएगी। हालाँकि, यदि उन्हें वापस नहीं किया जाता है, तो जमा राशि जब्त कर ली जाएगी। कार्यक्रम का समापन रामनगर की पंचायत सचिव काकोली घोष ने किया।

<><><><><><><>

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को वर्तमान में रबी दो हजार चौबीस–पच्चीस के लिए पूरे द्वीपसमूह में कार्यान्वयन के लिए अधिसूचित किया गया है। योजना के तहत, दलहन और सब्जियों की फसलों को बीमा के लिए दो हजार चौबीस–पच्चीस रबी मौसम के तहत अधिसूचित किया गया है। योजना के तहत रबी सीजन के कार्यान्वयन के लिए सभी तीन जिलों का एक क्लस्टर बनाया गया है। रबी सीजन के लिए सभी अधिसूचित फसलों के लिए क्षतिपूर्ति स्तर अस्सी प्रतिशत है। पी एम फसल बीमा योजना के तहत नामांकित सभी किसान प्रीमियम पर सब्सिडी के हकदार होंगे। बीमा के तहत प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान के लिए किसानों को मुआवजा दिया जाता है। अधिसूचित क्षेत्र में अधिसूचित फसलें उगाने वाले सभी किसान बीमा का लाभ उठाने के पात्र हैं। ऐसे किसानों को मौजूद भूमि रिकॉर्ड या प्रशासन द्वारा अधिसूचित अन्य दस्तावेज के आवश्यक दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है। रबी दो हजार चौबीस–पच्चीस के लिए योजना के अंतर्गत नामांकन की अंतिम तिथि पन्द्रह जनवरी है। किसानों को भूमि अभिलेखों के साथ संबंधित क्षेत्रों के एसबीआई या सहकारी बैंक से संपर्क करना होगा और योजना के अंतर्गत नामांकन कराना होगा या वे राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर भी अपना पंजीकरण करा सकते हैं। नामांकन के बाद, नुकसान के मामले में बीमित किसान बहत्तर घंटे के भीतर सीधे या फोन के माध्यम से कार्यान्वयन एजेंसी, संबंधित बैंक या स्थानीय कृषि विभाग को सूचित कर सकते है। अधिक जानकारी या सहायता के लिए किसान, किसान कॉल सेंटर या संबंधित क्षेत्रों के विभाग के अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं। द्वीपसमूह के किसानों से इस योजना का लाभ उठाने का अनुरोध किया गया है।

<><><><><><><>